'परिवादियों को दोबारा जनसुनवाई में क्यों आना पड़ रहा है'

कोटा, (निसं)। जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जनसुनवाई में लगभग 145 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई में अतिक्रमण और सीमाज्ञान से जुड़े मामले प्रमुख रहे। कलेक्टर ने केडीए और नगर निगम को निर्देश दिये कि मौके पर टीम भेजकर सीमा ज्ञान स्पष्ट करें और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। उन्होंने केडीए

■ **जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से सवाल किया**

कोटा में जिलास्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

के प्लॉट्स पर अवैध खुदाई से संबंधित शिकायत पर पुलिस विभाग को सतर्क रहते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आठ लेन सड़क निर्माण के लिए जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है और जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, उनके रिकॉर्ड का मिलान कर शीघ्र मुआवजा वितरण सुनिश्चित किया जाऐं। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी केडीए अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिऐं गऐं। साथ ही, कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनियां काटने के मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिला कलेक्टर ने टावर के संवेदनशील संरचना से जुड़े मामले में पीडब्ल्यूडी को मौके पर जाकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कनवास रूट पर बस सेवा में सुधार के लिए रोडवेज को जल्द बस संचालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। वन भूमि और आवासीय क्षेत्रों में अवैध क्रेशर से संबंधित शिकायतों पर पुलिस विभाग को ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए गऐं।

कलेक्टर ने पुराने प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से पूछा कि परिवादियों को दोबारा जनसुनवाई में क्यों आना पड़ रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि परिवादियों को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

जनसुनवाई में एडीएम सिटी अनिल सिंघल, एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला, केडीए सचिव कुशल कोठारी, नगर निगम आयुक्त उत्तर अशोक त्यागी, आयुक्त दक्षिण अनुराग भार्गव, जिला रसद अधिकारी कार्तिकेय मीणा, सीएमएचओ डॉ. जगदीश सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक दिव्यांग के मामले में कलेक्टर ने दानदाता के माध्यम से भोजन सामग्री की व्यवस्था करवाने को कहा। इसके साथ ही, सामाजिक न्याय विभाग को निर्देश दिये कि दिव्यांग को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ प्रदान करें। मोटर डिसेबिलिटी से जुड़े एक प्रकरण में कलेक्टर ने डीओआईटी को मरीज की केवाईसी शीघ्र पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

'चम्बल की दुर्दशा सुधारने के लिए संयुक्त प्रयास हो'

कोटा, (निसं)। नदियां हमारी जीवन रेखा अभियान के तहत चम्बल संसद ने नदी किनारे केशवराव पाटन में बैठ कर नदी संरक्षण, शुद्धिकरण का आव्हान किया और बड़ी संख्या में लोगों ने महाआरती में हिस्सा लिया।

■ **चम्बल संसद ने नदी किनारे केशवराव पाटन में बैठ कर नदी संरक्षण, शुद्धिकरण का आव्हान किया**

चम्बल की परिक्रमा कर रहे युवा पर्यावरणविद् रोबिन सिंह ने बताया कि चम्बल भी अन्य नदियों की तरह प्रदूषण, शोषण और अतिक्रमण की की शिकार है।

समाज के सभी वर्गों को ठोस योजना पर काम करना होगा। मुख्य अतिथि विधायक सीएल प्रेमी ने कहा कि नदी के लिए हमें सबको एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। विशेषकर जन प्रतिनिधियों को।

अध्यक्षता करते हुए संसद के संरक्षक बाबा निरंजन नाथ अवधूत ने कहा कि समाज और शासन को नदी की चिंता करना चाहिए। संसद के संयोजक बृजेश विजयवर्गीय ने बताया कि संत, समाज और शासन और महाजन एक दिशा में काम करें। जिस देश की नदियां प्रदूषित रहती है वहां का व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। नगर पालिका - केशवरायपाटन के अध्यक्ष कन्हैयालाल कराड़ ने बताया कि शुद्धिकरण की परियोजना पर वन विभाग ने रोक लगा रखी है। प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र काम शुरू हो।

राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह के संयोजक किसान नेता दशरथ कुमार, एडवोकेट अरविंद भूतिया, बूंदी चम्बल संसद संयोजक विट्ठल कुमार सनाढ्य,वरिष्ठ नेता बद्री लाल नागर कौशिक गायत्री परिवार के संचालक यज्ञ दत्त हाड़ा, युधिष्ठिर चानसी,डा अमित सिंह राठौड़, संत स्वामी तेजोमायावन रामधीर सिंह आदि मोनू सिंह, अर्चना राजावत, लटूर लाल डैनी महाआरती में 'नदियां हमारी जीवन रेखा' नदी किनारे आयोजित चंबल संसद को आशीर्वाद देने गऊ घाट के बाबा निरंजन नाथ अवधूत भी पहुंचे। चंबल की परिक्रमा कर रहे पदयात्री रोबिन सिंह, संत तेजो माया वन रामधीर सिंह के केशवरायपाटन के विधायक सीएल प्रेमी, नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल कराड़, राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह के संयोजक दशरथ कुमार, गायत्री परिवार बोरखेड़ा आश्रम के संचालक यज्ञ दत्त हाडा, एडवोकेट अरविंद भूतिया, रामकृष्ण शिक्षण संस्था के महामंत्री युधिष्ठिर चानसी, हम लोग संस्था के कुंदन चीता, कन्हैयालाल लाल केवट, लोकेश केवट, इटावा उत्तर प्रदेश से राजीव सिंह, जिला प्रधान गुलशन लोधी समेत जन प्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी गण नागरिक चंबल की महा आरती में भी शामिल हुए।

मंच संचालन बृजेश विजयवर्गीय ने किया। उन्होंने बताया कि आगामी 10 दिसंबर को इटावा में चंबल यमुना के संगम स्थल पर इस परिक्रमा का समापन होगा एवं रोबिन सिंह एवं उनके साथी चंबल पर दस्तावेज सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

आम सूचना

GST रजि. नं. 08ABYFS8864P1ZL

पता:-एयरटेल टावर के सामने NH 52 डींगसी सुकेत हमारी फर्म M/S सैलानी क्रेशर एण्ड कोन्ट्रेक्टर के साझेदारों श्री सलीम खान व श्री प्रकाश पाटीदार व श्री कमलेश मेहता के द्वारा एक अन्य साझेदार श्री अमर पाटीदार को जोड़ा गया है। जिस किसी को भी आपत्ति हो तो 7 दिवस में फर्म रजिस्ट्रार कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र कोटा में सूचित करें।

For-Selani Crusher & Contractor

Partner

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा सूचना

सं. ईएल/50/एनआईटी/17(2024-25) दि. 20.11.2024

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि. मंडल विधुत अभियंता(सामान्य), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्याः** ईएल/50/225/2024- 25, **कार्य का नामः** कोटा मंडल-दिव्यांगजन सुविधाओं का प्रावधान (43 स्टेशनों) पर विद्युत सम्बंधित कार्य।, **अनुमानित लागत (रू.में):** 37,54,000.32, **बयाना राशि (रू.में):** 75,100/-, **कार्य समाप्ति अवधिः** 06 माह, **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समयः** 13.12.2024 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे। ऑफर केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से http://www.ireps.gov.in/ पर स्वीकार किये जायेगें निविदा दाता के पास क्लास III डिजिटल सिंग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आईआरईपीएस पोर्टल पर रजिस्र्टड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुअली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कंडीशन व शर्तें अवश्य पढ लें।

वरि. मंडल विधुत अभियंता(सामान्य), पमरे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

समस्या समाधान शिविर आज

कोटा, (निसं)। शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वार्ड संख्या 52, नगर निगम दक्षिण (वीर सावरकर नगर, दिव्या बेकरी के पास) आज प्रातः 10 बजे से समस्या समाधान शिविर का आयोजन होगा।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1464 **विक्रय स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-21.11.24

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ए व्यवसायिक का भूखंड/आवास संख्या 81 श्री नितेश मतवानी पुत्र श्री नन्द लाल मतवानी को आवंटन/नीलामी पत्र दिनांक 09.01.2023 के द्वारा आवंटन किया गया था। अत: उक्त भूखंड की विक्रय स्वीकृति जर्ये मुख्तारआम श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री बृजमोहन गर्ग द्वारा नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम विक्रय स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 81 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ए व्यवसायिक की विक्रय स्वीकृति श्री नितेश मतवानी पुत्र श्री नन्द लाल मतवानी जर्ये मुख्तारआम श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री बृजमोहन गर्ग के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

सार-समाचार

मेडिकल असेसमन्ट केम्प का आयोजन

कोटा, (निसं)। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के तत्वाधान में समग्र शिक्षा कोटा द्वारा दिव्यांग बालक-बालिकाओं के लिए गुरूवार को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल वोकेशनल नयापुरा में जिला स्तरीय मेडिकल शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 116 दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वितरित किये गये और बालक-बालिकाओं को चिकित्सकीय उपकरण वितरण हेतु चयन किया गया। जिन्हें विभाग द्वारा जल्द ही ट्राई साईकिल, व्हिल चेयर, बैशाखी, हियरिंग एड, टीएलएम किट का वितरण किया जाएगा। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोटा रूपेश कुमार ने दिव्यांग बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से आव्हान करते हुए कहा कि दिव्यांग बालक-बालिकाओं को उत्सावर्धन कर उनका मनोबल बढ़ाते रहें। उन्होंने कहा कि देश की कई दिव्यांग प्रतिभाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल की हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों और योजनाओं का लाभ उठाना चाहिऐं। विशिष्ट अतिथि डॉ.अमित जोशी ने दिव्यांग बालक-बालिकाओं के उपचार के सम्बन्ध में जानकारी दी और चिकित्सा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। डॉ.भीमराव अम्बेडकर सामाजिक समरसता समिति के अध्यक्ष प्रशात शर्मा ने उनकी संस्था द्वारा निकट भविष्य में आयोजित किये जाने वाले चिकित्सा शिविरों और गतिविधियों की जानकारी दी।

घायल मिले सफाई कर्मचारी की मौत

कोटा, (निसं)। कुन्हाड़ी इलाके में सड़क पर घायल मिले सफाई कर्मचारी ने एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कुन्हाड़ी थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक कुन्हाड़ी निवासी छोटू लाल (45) है। जो नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। हेड कांस्टेबल ने बताया कि छोटू लाल 19 नवंबर की रात्रि को खाना खाकर घर से निकला था, जो रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे अचेत और घायल अवस्था में मिला। जिसको घायल अवस्था में उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

अनजान की जान बचाने के लिए दौड़ा चला जाता है कमल

कोटा, (निसं)। अनजान लोगों की जान बचाने और अपनी जान की परवाह किए बिना महीने में अनेक बार बी पॉजिटिव एसडीपी डोनेट कर मानवता भलाई के काम में लगा कमल कुमार इंसा फिर डेंगू रोगी की जान बचाने की गरज से एसडीपी डोनेट कर आया। सेवादार राजेन्द्र सिंह हाड़ा के अनुसार भारत विकास परिषद अस्पताल में भर्ती छावनी निवासी हर्षित पुत्र दुर्गादास को डेंगू रोग के चलते जैसे ही डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा की हेल्प लाइन से सूचना मिली, तो तुरन्त ही कमल कुमार इंसा ब्लड बैंक पहुंच गया और अनजान रोगी की जान बचाने में मददगार बन गया। कमल कुमार का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की पावन प्रेरणा से ही यह सब कर पा रहा हूं और अनजान लोगों की मदद कर इंसानियत का फर्ज निभाने से उसे बहुत ही खुशी का एहसास होता है।

अवैध शराब के पव्वे सहित गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नांता इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाई करते हुए अवैध शराब के पव्वे बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नांता थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि मोहन लाल सुखाड़िया आवासीय योजना के समीप एक व्यक्ति अवैध देशी शराब के पव्वे बेच रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे वहां एक संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन कर उसके पास मौजूद प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली तो प्लास्टिक के कट्टे के अंदर से 65 देशी शराब के पव्वे बरामद हुये। पुलिस ने कार्यवाही करते हुये बरड़ा बस्ती निवासी गोलू यादव (22) को गिरफ्तार किया।

राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर किसानों के लिए लगेगा मेला

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कृषि एवं अनुषंगिक विभागों की विभिन्न लोकहितकारी योजनाओं, नवीन अनुसंधानों तथा कृषि विविधता के नूतन आयामों को किसानों एवं हितधारकों के मध्य लोकप्रिय बनाने एवं कृषक समुदाय में उसकी ग्राह्यता बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत समितिवार एवं जिला स्तर पर किसान मेला/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 25 नवम्बर को पंचायत समिति सांगोद में, 27 नवम्बर को रामगंजमंडी में, 4 दिसम्बर को सुल्तानपुर में एवं 11 दिसम्बर को इटावा में तथा 13 दिसम्बर को जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र बोरखेड़ा में किसान मेला/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

कोटा महोत्सव की तैयारियों की बैठक आज

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में शुक्रवार 22 नवम्बर को सायं 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में 23 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले कोटा महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा।

जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कक्षा में छात्रों का उत्साह दिखा

कोटा, (निसं)। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा सत्र 2024-25 से विविध पाठ्यक्रमों में नियमित अध्ययन के साथ-साथ संघ लोकसेवा आयोग व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का आयोजन 09 नवंबर से किया जा रहा है।

इसमें विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विभिन्न संसाधन उपलब्ध करवाये जा रहे है। जो विद्यार्थियों के प्रतियोगी परीक्षाओं की अलग से तैयारी के लिए संसाधनो व समय की बचत करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस कक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों- बी.ए., बी.एस.सी, बी.कॉम, बी.ए.एल.एल.बी, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.लिब. व स्नातकोत्तर- भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, हिन्दी व अंग्रेजी साहित्य, ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, होटल प्रबन्धन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत वरिष्ठ आर.ए.एस. अधिकारी आर.डी.मीणा जो कि इस विश्वविद्यालय के चेअरपर्सन भी है उनके विचार एवं विजन को देखते हुए इस प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है ताकि इस क्षेत्र की प्रतिभाओं का भी आर.ए.एस. एवं सेवाओ में चयन हो सकें।

जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. मोहम्मद आशिद के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के सलेक्शन की संभावनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से समय-समय पर विभिन्न मोटिवेशनल लेक्चर, गेस्ट लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर, मॉक इन्टरव्यू व ग्रुप डिस्कशन की भी तैयारी करवायी जायेगी। कार्यक्रम के सह-समन्वयक जयराम मीणा, डॉ. संजय कुमार, डॉ. रवि जोरावत के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय सदैव तत्पर रहा है। तथा विद्यार्थियों के सफल भविष्य की कामना करता हैं।

कोटा डेयरी प्लांट के खिलाफ सर्व ब्राह्मण महासभा ने ज्ञापन दिया

कोटा, (निसं)। कोटा डेयरी प्लांट मे पिछले 9 सालों से कार्य कर रहे युवक कि कार्य करने के दौरान मशीन मे हाथ आने से अंगुलियां कट जाने के गंभीर मामले मे डेयरी द्वारा कोई सहायता नहीं करने के विरोध मे सर्व ब्राह्मण समाज ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही पीड़ित को स्थायी नौकरी एव मुआवजा दिलाने कि मांग की। सर्व ब्राह्मण महासभा यूथ प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रिद्धम शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

■ **ठेकाकर्मी की अंगुलियां कटने का मामला**

रिद्धम शर्मा ने बताया की शिवपुरा निवासी शुभम गौतम पिछले 9 वर्ष से कोटा डेयरी प्लांट मे कार्यरत था। 29 सितम्बर को कार्य करने के दौरान प्लांट की लापरवाही से उसका हाथ मशीन मे आ गया। जिस कारण उसकी अंगुलियां कट गई वो आधे घंटे तड़पता रहा, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रिद्धम शर्मा ने कहा कि पीड़ित के 4 ऑपरेशन हो चुके है। अपनी राशि से अर्थिक रूप से कमजोर परिवार ईलाज करवा रहा है, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख का खर्चा आ चुका है। लेकिन डेयरी प्रशासन में कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। तथा ठेकेदार द्वारा पीड़ित परिवार पर एक स्टाम्प पर हस्ताक्षर करने को लेकर दबाव बनाया गया, जिसमें लिखा था की सारी गलती पीड़ित कि हैं, प्लान्ट या ठेकेदार कि नहीं जिसपर पीड़ित ने हस्ताक्षर नहीं किए। पिछले डेढ़ महीने से पीड़ित परिवार न्याय कि मांग को लेकर प्लांट के चक्कर लगा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित को 15 लाख का मुआवजा व स्थाई नौकरी देने व ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मोहित, लोकेंद्र, रोहित, राहुल शर्मा, जय शर्मा, आयुष आदि मौजूद रहे।

नगर निगम कोटा दक्षिण में स्वनिधि भी स्वाभिमान भी शिविर का आयोजन आज से

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा दक्षिण में स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़े का आयोजन 18.11.2024 से 02.12.2024 तक स्वागत हॉल नगर निगम कोटा, समय प्रात: 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक आयोजित किया जाना है।

■ **इस अभियान में नगर निगम कोटा दक्षिण में अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को लाभान्वित कर अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य लिया**

इस कार्य के आयोजन में निम्न गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाना है। बैंकों में लम्बित स्वीकृत ऋणों का वितरण एवं लम्बित आवेदनों की स्वीकृति जारी करवाना। आंवटित लक्ष्यों के अनुरूप अधिक से अधिक नए आवेदन पत्र बैंको में भिजवाना। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत जिलों में पीएम स्वनिधि के समस्त लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाइलिंग करवाना।

स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्ग त पीएम स्वनिधि के लाभार्थी एवं उनके परिजनों को जन-कल्याणकारी योजनाओं यथा पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जन-धन योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रम योगी मान धन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, मातृ वन्दन योजना वीओसीडब्ल्यू पंजीकरण से लाभान्वित करवाना। समाचार पत्र, सोशल मीडिया, पोस्टर, होर्डिंग्स, पम्पलेट, आदि विभिन्न माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।

इस अभियान में नगर निगम कोटा दक्षिण में अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को लाभान्वित कर अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य लिया गया है।

अखिल भारतीय अंतर परमाणु ऊर्जा विद्यालय सांस्कृतिक सम्मेलन समारोह आयोजित

रावतभाटा, (निसं)। परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 4 में गुरूवार को तीन दिवसीय अखिल भारतीय अंतर परमाणु ऊर्जा विद्यालय सांस्कृतिक सम्मेलन का समापन समारोह संपन्न हुआ। परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 4 में चल रही तीन दिवसीय अखिल भारतीय अंतर परमाणु ऊर्जा विद्यालय सांस्कृतिक सम्मेलन का भव्य समापन समारोह आयोजित हुआ।

समारोह के मुख्य अतिथि एनपीसीआ ए आर.आर. साइट की इका 3 एवं 4 के केन्द्र निदेशक डी. सुब्बा राव रहे तथा विशिष्ट अतिथि इका 5 एवं 6 के केन्द्र निदेशक राजेश रोज़ रहे। एन.सी.सी. कैडेटस् ने ए.एन.ओ. डी.आर. गोचर के निर्देशन में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा अतिथियों का स्वागत पौधे प्रदान कर किया गया तथा संगीत शिक्षक जयवर्धन भटनागर के निर्देशन में स्वागत गीत प्रस्तुत गया किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों के कर कमलों से विजेता रही टीमों को ट्रॉफियाँ व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजक प्रचार्य दिलीप सिंह ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। सभी को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि अणुनगरी रावतभाटा में हमें परमाणु के शांति पूर्ण उपयोग द्वारा परमाणु ऊर्जा तो प्राप्त हो ही रही है लेकिन पिछले तीन दिनों में रावतभाटा के विद्यालय क्रमांक 4 में हमने एक न ऊर्जा को महसूस किया जिसका अनुभव हमें दूर-दूर से आए व स्थानीय प्रतिभागियों की विलक्षण नृत्य प्रतिभा को देखकर हुआ, जो अपने प्रदेश से हटकर अन्य प्रदेश की अद्भुत नृत्य प्रस्तुति दे रहे थे।

जयवर्धन भटनागर ने इस कल्चरल मीट का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि डी. सुब्बाराव ने बताया कि नृत्य, संगीत तथा खेलकूद व्यक्ति को स्वस्थ व तरोताजा बनाए रखते हैं जिससे वह हर कार्य को सफलता पूर्वक करने में समर्थ बनता है, यह मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं स्वयं खिलाडी रह चुका हूँ और छात्र जीवन में यूनीवर्सिटी स्तर पर खेलकर क नाम भी जीते हैं, लेकिन खेलकूद में मेरी रूचि मेरी शिक्षा में कभी बाधा नहीं बनी बल्कि इससे मस्तिष्क को और अधिक तीक्ष्णता ही प्राप्त हु। विशिष्ट अतिथि राजेश रोज़ ने कहा कि पढ़ा के साथ नृत्य कला सीखना को सरल कार्य नहीं है, आप सभी की लगन बता रही है कि आप इन दोनों कार्यो को सहजता से करने में सक्षम हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 100 से अधिक प्रकार के लोक नृत्य प्रचिलित हैं। केरल के कथकली नृत्य के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें निपुणता प्राप्त करने में कम से कम 12 वर्षों की कड़ी मेहनत की आवश्यता होती है, इसकी प्रस्तुति के लिए मेक करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं तब जाकर कलाकार स्टेज पर उतरता है। आयोजन की एपेक्स समिति के अध्यक्ष जॉबी जॉन ने कहा कि मुझे अपनी समिति के सदस्यों की कार्य कुशलता का अंदाजा बाहर से आए प्रतिभागियों व उनके मार्गरक्षक शिक्षकों के प्रतिवेदन सुनकर लग रहा है कि हमने सफल आयोजन के लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त कर लिया है, किसी की और से को प्रतिकूल प्रक्रिया प्राप्त नहीं हु। सभी ने विजेता रहे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधा दी और बाहर से आए सभी प्रतिभागियों व उनके मार्गरक्षक शिक्षकों को सुखद एवं सुरक्षित वापसी यात्रा के लिए शुभकामनाएँ दी।

कार्यक्रम में अगले वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे तथा इस कल्चरल मीट की बागडोर संभाल रहे वरिष्ठ संगीत शिक्षक जयवर्धन भटनागर को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा माला व साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ा कर तथा श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और सभी ने उन्हें इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधा दी। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों में विद्यालय की स्थानीय प्रबंधन समिति की सदस्य मनीषा मिश्रा व गायत्री शर्मा तथा विद्यालय सलाहकार समिति की शिक्षा मिश्रा, मोनिका गुप्ता एवं कुसुमलता उपस्थित रही।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2841 **विज्ञप्ति** दिनांक:-21.11.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम सोगरिया में स्थित कृषि भूमि योजना गुरु गोविन्द विहार भूखंड संख्या 64 खसरा नं. 320, 321 आवेदक/आवेदिका श्रीमती रानी देवी पत्नी स्व. सुबोध नारायण मिश्रा एवं श्री पंकज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सुबोध नारायण मिश्रा निवासीगण 461 प्रताप नगर कालोनी, गली नं. 12 कोटा जं. राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 103 दिनांक 20.06.2014 को श्री पंकज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सुबोधनारायण मिश्रा एवं सुबोधनारायण मिश्रा पुत्र श्री रामकृष्ण मिश्रा के पक्ष में जारी किया गया था। सहपट्टाधारी सुबोधनारायण मिश्रा की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 16.06.2020 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पत्नी रानी देवी, पुत्र प्रत्युक्ष कुमार, अविनाश कुमार, पंकज मिश्रा है। वारिसान प्रत्युक्ष कुमार, अविनाश कुमार, पंकज मिश्रा द्वारा अविभाजित हिस्से जर्ये रजि. रिलीज डीड (हकत्याग) दिनांक 18.08.2023 से अपनी माता रानी देवी के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती रानी देवी पत्नी स्व. सुबोध नारायण मिश्रा एवं श्री पंकज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सुबोध नारायण मिश्रा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2840 **विज्ञप्ति** दिनांक:-21.11.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम तेखडा में स्थित कृषि भूमि योजना बालाजी आवास भूखंड संख्या 58-ए खसरा नं. 42 आवेदक/आवेदिका श्री ईरशाद अली सैय्यद पुत्र श्री मन्जूर अली सैय्यद निवासी 1179, फकीरों का मोहल्ला तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 87 दिनांक 02.06.2014 को नसरीन खान पत्नी श्री रईस खान के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 16.02.2015 को जर्ये मुख्तारआम जनाब शाकिर हुसैन पुत्र श्री बशीर मोहम्मद द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री ईरशाद अली सैय्यद पुत्र श्री मन्जूर अली सैय्यद के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4223 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 21.11.24

आवास संख्या 4-ई-1 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती ग्यारसी बाई पत्नी श्री जवहार लाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री सोहन लाल पुत्र श्री शंकर लाल के नाम दिनांक 22.09.2000 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री सोहन लाल पुत्र श्री शंकर लाल द्वारा दिनांक 24.10.2000 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री सोहन लाल पुत्र श्री शंकर लाल की मृत्यु दिनांक 18.10.2019 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती राम जानकी देवी की मृत्यु दिनांक 29.03.2018 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती राधा बाई पुत्री स्व. श्री सोहन लाल पत्नी श्री नन्द किशोर, श्रीमती रंजना नामा पुत्री स्व. श्री सोहन लाल पत्नी श्री घनश्याम नामा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 24.12.2020 को श्री विजय कुमार नामा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल के पक्ष में किया गया। इसी प्रकार श्रीमती उषा नामा पत्नी श्री विजय कुमार नामा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 20.09.2024 को श्री विजय कुमार नामा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल के पक्ष में किया गया। श्री विजय कुमार नामा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-ई-1 महावीर नगर तृतीय कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री विजय कुमार नामा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विजय कुमार नामा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विजय कुमार नामा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4220 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 21.11.24

आवास संख्या 3-प-10 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री बद्रीलाल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री बद्रीलाल के नाम दिनांक 04.01.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री बद्रीलाल की मृत्यु दिनांक 04.03.2007 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण दिनांक 12.03.2008 को स्वत्व परित्याग-पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्रीमती सुशीला देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री घनश्याम शर्मा के नाम किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती सुशीला देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री घनश्याम शर्मा की मृत्यु दिनांक 01.08.2024 को एवं इनके पुत्र श्री ब्रहमानन्द शर्मा की मृत्यु दिनांक 3.06.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री हरीश शर्मा एवं श्री भरत शर्मा पिसरान् स्व. श्री ब्रहमानन्द शर्मा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 23.08.2024 को श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी स्व. श्री ब्रहमानन्द शर्मा के पक्ष में किया गया। इनकी प्रकार इनके वारिसानों में श्रीमती चन्दा देवी पुत्री स्व. श्री घनश्याम शर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 26.09.2024 को श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी स्व. श्री ब्रहमानन्द शर्मा के पक्ष में किया गया। श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी स्व. श्री ब्रहमानन्द शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-प-10 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी स्व. श्री ब्रहमानन्द शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी स्व. श्री ब्रहमानन्द शर्मा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी स्व. श्री ब्रहमानन्द शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांक:-नपबा/रुपा./2024/9226-27 **लोक सूचना** दिनांक:-21.11.2024

श्री प्रदीप मेरोठा पुत्र श्री बाबुलाल जाति धोबी निवासी जीरोद तह. अटरु जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील व जिला बारां	कलमण्डा	2210/1730	0.11 है. में से 512 वर्ग मी.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.......को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां